कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 154 /अलीगढ़/14131/2015, दिनांक, लखनऊ, जुलाई 20, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय : अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 9.100 के दायीं पटरी पर ग्राम–हरदुआगंज के खसरा सं0–176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–3703/14–1, दिनांक 30.06.2017
इस कार्यालय का पृष्ठांकन पत्रांक–47/गाइडलाइन, दि0 07.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दि0 02.06.2017 द्वारा इंगित सूचनाओं का 12 माह बाद निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से विदित होता है कि कतिपय सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण एवं सुसंगत नहीं हैं, जो निम्न प्रकार हैं :–

1– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–ई(3) पर 35 मानव दिवस अंकित किये गये हैं। क्या 35 मानव दिवस में परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी ? सूचना संशोधित करें। इस सम्बन्ध में पूर्व में लिखा गया था।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की वैधता समाप्त हो चुकी है। वैध प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

3– प्रस्ताव के साथ संलग्न अनेकों अभिलेखों पर पृष्ठ संख्या अंकित नहीं है। समस्त पृष्ठों पर कमवार पृष्ठ संख्या अंकित करें।

4– प्रस्ताव के साथ विषय–सूची संलग्न नहीं है। संलग्न करें।

उक्त के अतिरिक्त पूर्ण एवं सुसंगत प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु भारत सरकार के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.06.2017 द्वारा प्राप्त दिशा–निर्देश इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। अतः किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं समस्त सूचनाओं व अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 154 / उक्त दिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि **संशोधित प्रस्ताव** वन संरक्षक, अलीगढ़ को शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, ए–5, से0–3, नोएडा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। सम्बन्धित सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।